

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील में जारी हुए

आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वकील पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण को जर्ने अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला से पाबन्द किया जावे कि वो खाता संख्या नया 89 पुराना खाता संख्या 47 आराजी खसरा नम्बर 644 रकबा 1.23 है 0 कित्ता 1 रकबा 1.23 है 0 वाके रामा मौजा थूमडा तहसील रैणी जिला अलवर में स्थित है, से प्रार्थीगण को आराजी से जबरन बेदखल नही करे। ना ही कुल कार्य काश्त में व्यवधान उत्पन्न करे। एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। इत्यादि। तार्ईद में शपथ पत्र पेश है।

बहस वकील प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, शपथपत्र व प्रस्तुत जमाबन्दी के इन्द्राज से प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी को नापूर्ति क्षति होने का अंदेशा है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय शपथ पत्र व प्रस्तुत दस्तावेजात पर विश्वास करते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 12.08.2022 तक पाबन्द किया जाता है कि वो उक्त आराजी में रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाएँ रखे। अप्रार्थीगण को जर्ने रजिस्टर्ड नोटिस भी जारी हो कि इस सम्बन्ध में उन्हे कोई एतराज हो तो दिनांक 12.08.2022 को न्यायालय होकर पेश करें। दर्ज रजिस्टर हो।

उपखण्ड अधिकारी रैणी

27/7/22

आज यह पत्रावली मूलवाद के माय पेश हुई। वासीगण अप्रार्थीगण वासीगण द्वारा मूलवाद विज्ञ कर लिया है। मूलवाद का निवारण हो जाने के कारण पृष्ठ 212 RT Act का कोई अभाव

हुलस भल कलरुवलही डड हुनलशलरुलल लल

लही रुलतल हल कलरुल डलडड 212  
RT डललन रुही कलरुललही - डुड कल  
लही हल डडलडल डुडलल डुडलल डुडलल  
डडलडल डुडलल डुडलल डुडलल डुडलल  
डुडलल डुडलल डुडलल डुडलल डुडलल  
डुडलल डुडलल डुडलल डुडलल डुडलल